# कैबिनेट ने स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, मैडिकल कॉलेज फीस व पारितोषिक पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए

## मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में युवाओं, ऊर्जा व पर्यटन विभाग पर ध्यान दिया गया

जयपुर, 19 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में खेलों को प्रोत्साहित करने, एनआरआई मेडिकल छात्रों के लिए फीस सुधार, दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों की पेंशन प्रणाली में सुधार, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और सेवा नियमों में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा*

राज्य में खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए कैबिनेट ने "महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025" के प्रारूप को मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा। यह संस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा।

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन किया गया है। अब एनआरआई कोटा की फीस मैनेजमेंट कोटा की फीस का 2.5 गुना होगी, जो औसतन 23.93 लाख प्रति वर्ष तय की गई है।

कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 में संशोधन करते हुए दिवंगत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता को भी अब 50 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया है। साथ ही, अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी।

बैठक में 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमत पर भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संशोधन को मंजूरी दी है।

# ट्रंप के टैरिफ के "श्राप" ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

- **स्थापित ज्वैलर्स, जिनके पास अमेरिका में सोना खरीदने का सामर्थ्य व संगठन है, वो ही यह सारी कसरत कर सकते हैं। पर, छोटे-छोटे देशों के उभरते ज्वैलर्स के लिए यह सब करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। अतः वे "इनोवेटिव" व सामर्थ्य पूर्ण भारतीय ज्वैलर्स की तुलना में टिक नहीं पायेंगे।**
- **अतः भारतीय ज्वलैर्स ने न केवल अपने माल को भारी टैरिफ (50 प्रतिशत) की मार से बचा लिया, बल्कि एक तरह से अमेरिका के ज्वैलरी के मार्केट में छोटे-मोटे सप्लायर्स की पहुँच को खत्म कर दिया व अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया।**

अस्तित्व बचाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक मजबूत बढ़त है। उसके मुनाफ़े सुरक्षित रहते हैं, निर्यात मात्रा स्थिर रहती है और अमेरिकी साझेदार आश्वस्त रहते हैं। इसके विपरीत, छोटे भारतीय निर्यातकों के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैमाना या सीमा-पार नेटवर्क नहीं है, इसलिए ये कमज़ोर व असुरक्षित बने रहते हैं। नतीजा है, संगठित आभूषण दिग्गजों और पारंपरिक खिलाड़ियों के बीच खाई बढ़ रही है।

गोल्डियम का यह कदम एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, दुनिया भर के निर्यातक उद्योग की दीवारों से टकराने के बजाय उनके इर्द-गिर्द घूमना सीख रहे हैं। चीन की कंपनियों ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान अपनी असेंबली लाइनों का मार्ग वियतनाम और मलेशिया की तरफ मोड़ दिया है। मैक्सिकन ऑटो सप्लायर लंबे समय से लागत और टैरिफ के असर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए उत्तरी अमेरिकी व्यापार ढांचे का लाभ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि वियतनाम के गारमैंट एक्सपोर्टर भी फ्री ट्रेड एग्रीमैंट्स के तहत ड्यूटी फ्री प्रावधानों का लाभ उठाकर सफल हो रहे हैं। इन सभी उदाहरणों को जो बात जोड़ती है, वह है सोच में बदलाव। टैरिफ, जो कभी संरक्षणवाद के भौंथरे औजार माने जाते थे, अब सप्लाई चेन डिज़ाइन में इनोवेशन (नवाचार) लाने वाले बन रहे हैं। वैश्विक पहुँच और कुशल रणनीतियों वाली कंपनियाँ अक्सर जोखिम को कम करने के लिए कानूनी रास्ते खोज लेती हैं, जबकि छोटे खिलाड़ी गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। भारत के आभूषण उद्योग के लिए सबक स्पष्ट है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाज़ार है और संरक्षणवादी कदम बार-बार उठते रहेंगे। व्यावसायिक मॉडलों को नए सिरे से ढालने की क्षमता, चाहे वह अमेरिका से प्राप्त सोने के माध्यम से हो, विदेशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से हो, या डिज़ाइन और ब्रांडिंग की सीढ़ी पर आगे बढ़ने के माध्यम से हो, यह तय करेगी कि कौन फलता-फूलता है और कौन पीछे छूट जाएगा। 1986 में स्थापित गोल्डियम ने दिखाया है कि वह कैसे अनुकूलन कर सकता है और जीत सकता है। 50 प्रतिशत के दंडात्मक टैरिफ को एक प्रबंधनीय लागत (मैनेजेबल कॉस्ट) में बदलकर, इसने दुनिया के सबसे आकर्षक आभूषण बाज़ार में अपनी चमक बरकरार रखी है। इससे भी बढ़कर, इसने व्यापक रूप से भारतीय निर्यातकों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की है, व्यापार अनिश्चितता के नए युग में असली बात यह नहीं है कि आप क्या बेचते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे बाज़ार तक पहुँचाने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाते हैं।

# 'आईबी के आग्रह पर मैं आतंकियों ...

- **मलिक ने कहा, 2000 में देश में वाजपेयी सरकार के समय में सीबीआई के तत्कालीन स्पेशल डायरैक्टर अजीत डोभाल जेल में मुझ से मिलने आए थे, उन्होंने मुझे आईबी डायरैक्टर श्यामल दत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा से मिलवाया। वे चाहते थे कि मैं उनके रमज़ान सीज़फायर को सपोर्ट करूं।**
- **मलिक ने कहा, नब्बे के दशक के बाद से लगातार 6 सरकारों (वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक) ने कश्मीर मसले के समाधान प्रक्रिया में मुझे शामिल किया था।**
- **यासीन मलिक ने यह हलफनामा एनआईए के आरोप पत्र के जवाब में दिया है। एनआईए ने आतंकवाद में भूमिका के लिए मलिक को मृत्युदंड देने की माँग की है।**

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मुलाकात की और उन्हें इस मुलाकात की पूरी जानकारी दी।

उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा, मैंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अपनी मुलाकातों की जानकारी दी और संभावनाओं से अवगत कराया, जिस पर प्रधानमंत्री ने मेरे प्रयास, समय, धैर्य और समर्पण के लिए मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह मुलाकात जिसे मैंने केवल आईबी के स्पेशल निदेशक के कहने पर किया था, उसे मेरे खिलाफ गलत रूप में पेश किया गया।

मलिक ने ये दावे दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक विस्तृत लिखित जवाब में किए हैं, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में उन्हें फांसी की सजा देने की मांग पर प्रतिक्रिया के रूप में दायर किया गया है। यह जवाब कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया है, हालांकि कोर्ट ने इसे सीलबंद रखने का कोई आदेश नहीं दिया है। मलिक ने अपने जवाब में यह भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी उनकी भागीदारी थी, और उस समय के स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल ने उनसे जेल में मुलाकात की थी। मलिक ने बताया "अजीत कुमार डोभाल जी ने मुझसे नई दिल्ली में मुलाकात की और मेरी रिहाई की सूचना दी। उन्होंने मेरी मुलाकात आईबी निदेशक श्यामल दत्ता और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा से करवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर वार्ता को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि मैं रमज़ान संघर्ष विराम का समर्थन करूं।" मलिक ने दावा किया कि उन्होंने शांति प्रक्रिया में समर्थन पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वामपंथी नेताओं (जो उस समय विपक्ष में थे) से भी मुलाकात की थी। मलिक ने कहा, 2002 में मैंने पूरे जम्मू-कश्मीर में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसका मकसद कश्मीर में अहिंसक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना और कश्मीरी नेतृत्व को संवाद प्रक्रिया में शामिल करना था। यह बेहद कठिन कार्य था, और मुझे हर गाँव, स्कूल और कॉलेज जाकर 1.5 मिलियन (15 लाख) हस्ताक्षर एकत्र करने में ढाई साल लगे।

सन् 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 2006 में पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वे कश्मीर मसला हल करना चाहते हैं। मुलाकात के बाद मलिक अमेरिका गए और वहां स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की। हालाँकि, इसके बाद तत्कालीन पीएम को आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखा। मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें केवल देश में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर बोलने के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया गया।

उन्होंने कहा, मुझे केवल घरेलू मंच ही नहीं, बल्कि बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया। मलिक ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार में शामिल होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। "ऐसे निराधार दावे हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन मेरे द्वारा किए गए नरसंहार और सामूहिक हिंसा के कारण हुआ। अगर यह साबित हो जाए, तो मैं बिना किसी मुकदमे के खुद को फांसी पर लटका लूंगा और इतिहास में अपने नाम को एक अभिशाप के रूप में दर्ज करवाऊंगा।" दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में निर्धारित है।

# चुनाव आयोग के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा जेन ज़ैड को लोकतंत्र के रक्षक कहने की कोशिश को नेपाल, बांग्लादेश और कुछ साल पहले श्रीलंका जैसे देशों में हुए युवा आंदोलनों से जोड़ने की कोशिश बताया, जहाँ बड़े विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकारों में बदलाव हुए थे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी यह सब इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता उन्हें या उनकी पार्टी को वोट नहीं देती। प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं देती। इसलिए वे मोदी जी के 2014 के चुनाव को नकली बता रहे हैं। वे 2019 के चुनाव को फर्जी बता रहे हैं। वे 2024 के चुनाव को भी फर्जी बता रहे हैं। सभी चुनावों को वोटों की धांधली से जीता हुआ बता रहे हैं। राहुल गांधी, कृपया भारत के मतदाताओं की लोकतांत्रिक पसंद का अपमान करना बंद कीजिए।"

बिहार की राजधानी पटना में बोलते हुए, प्रसाद ने कहा कि गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसमें उनकी पार्टी कांग्रेस को जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि उस समय पूरी सरकारी मशीनरी कांग्रेस के अधीन थी, फिर भी वे दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। प्रसाद ने यह भी कहा कि उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं थे, फिर भी राहुल गांधी उन्हें कथित "वोट चोरी" के लिए निशाना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने जिस चुनाव की बात की है, वह 2023 का कर्नाटक चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उस समय, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस, प्रशासन सभी उसके अधीन थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अब इतना हो-हल्ला क्यों? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखाई, वे तो इस साल आए हैं, तो 2023 के चुनाव से उनका क्या लेना-देना? झूठ बोलना, बिना प्रमाण आरोप लगाना और देश के सामने गलत तस्वीर पेश करना राहुल गांधी की आदत बन गई है।" प्रसाद ने गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को क्या हो गया है? वे आखिर कितने झूठ बोलेंगे? वे कितनी बातें तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे? मैं इससे भी सख्त शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी, यह मेरी संस्कृति नहीं है, न ही मेरी पार्टी की। लेकिन आप देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, 2023 से कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, और सीआईडी उसके अधीन है, तो न वे होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, वे झूठे आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और यह उनकी प्रकृति बन चुकी है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिरा दिया है।" ज्ञातव्य है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वोटरों के नाम हटाये जाने का विवरण माँगा है।

भाजपा सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पार्टी और एनडीए नेताओं को राहुल गांधी पर आक्रामक हमला करने का निर्देश देने के बाद, उन पर यह तीव्र हमला शुरू हुआ है, क्योंकि "वोट चोरी" के खिलाफ राहुल गांधी का अभियान बिहार सहित देश के कई हिस्सों में लोगों के बीच पकड़ बना रहा है।

# लोकसभाध्यक्ष ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

यदि वे एफ आई आर दर्ज करने की प्रक्रिया को रोकते हैं एक बार फिर से प्रभावित करते हैं या रोका गया, तो यह कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। यह जग जाहिर है कि राजीव दत्ता और ओम बिडला कोटा के दिनों से बेहद करीबी रहे हैं, और अब यह दोस्ती सबके सामने आ गई है, क्योंकि बिडला खुद दत्ता को एफ आई आर से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार और दत्ता दोनों को कोई राहत नहीं मिली है। अब यह स्थिति साफ़ इशारा करती है कि राजीव दत्ता के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि यह एक संवेदनशील पद है। इसके साथ ही, जयपुर पुलिस एफ आई आर दर्ज करने से बचती आ रही है, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि दत्ता ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक पर एफ आई आर दर्ज न करने के लिए दबाव डाला है। इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनज़र, ओम बिडला का सॉलिसिटर जनरल से मिलने जाना खुद ही हालात साफ कर देता है।






राष्ट्रदूत ( एचयूएफ ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू ( राज. ) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600